

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 3560 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 14-3 2018  
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वारा:- निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय :- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/10861/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :-

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	In response to Point No. 4 of previous EDS dated 06.12.2017 related to tree enumeration, it is found that the number of trees now uploaded online at SI No. 4, Part II is 116, while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 230. Hence there is a discrepancy.	पार्ट II के कालम नं० 16 में सुधार कर अपलोड किया गया है।
2	In response to SI No. 5 of this office EDS dated 06.12.2017 related to submission of original hard copy of document the State Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 05-09-2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter of 05-09-2016 while as per the guidelines issued by the MOEF, original copy of the proposal of all the essential documents and /or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव की मूल कापी अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक 483/ 1 सी० वन दिनांक 12-03-2018 द्वारा प्रेषित की गई है। (छायाप्रति संलग्न)
3	In the component break-up uploaded a Para 2.4 Part I online, it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	पार्ट I में Road component में Location का उल्लेख कर दिया गया है।
4	In response to EDS Point No. 4, it is observed that the patches of CA are not marked on Survey of India toposheet map uploaded online in Part - II.	पार्ट II में संशोधित कर अपलोड किया गया है।
5	Upon DSS analysis, it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. It is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का कुल क्षेत्र 2.230 है० है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.46 हेतु 40460 है० भूमि (झिरकोटी लगगा सिन्द्रवाणी) में 2.00 है० भूमि में सघन वन होने के कारण 2.00 है० अतिरिक्त भूमि ग्राम बौला सेरा में ली गई है। सी०ए० हेतु 2.00 है० स्थल प्रस्तावित बौला सेरा में ली गई है। अतः पार्ट I में दोनों KML फाइल सही है।
	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	प्रस्ताव की मूल कापी अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० गौचर के पत्रांक 483/ 1 सी० वन दिनांक 12-03-2018 द्वारा प्रेषित की गई है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि विषयार्थक प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 483 /1 सी0 (वन)  
सेवा में,

दिनांक 12/03/2018

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी  
देहरादून।

विषय- प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर का आनलाइन ई0डी0स0 दिनांक 7.3.2018 महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत कराना है कि गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार कर दिया गया है।

क्र0स0	प्रश्न	उत्तर
1	In response to point No 4 of previous EDS dated 6-12-2017 related to tree enumeration, it is found that the number of tree now uploaded online at SI No 4, part II is 116, while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 23, Hence there is discrepancy.	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
2	In response to SI NO. 5 of this office EDS dated 06-12-2017 related to submission of original hard copy of document the state Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 5-9-2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter of 5-9-2016 while as per the guidelines issued by the MOEF, original copy of the proposal of all the essential documents and /or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न- प्रस्ताव की मूल प्रति।
3	In the component break-up uploaded a para 2.4, part I online, it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	Road component में Location का उल्लेख कर दिया गया है।
4	In response to EDS point NO 4, it is observed that the patches of CA are not marked on survey of india toposheet map uploaded in part II	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाना है।
5	upon DSS analysis. it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. it is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha	वन भूमि प्रस्ताव का क्षेत्र कुल 2.230 हे0 है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.460 हे0 क्षेत्रफल में भूमि ली गयी है। पूर्व चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.460 हे0 भूमि (झिरकोटी लगा सिन्द्रवाणी) में 2.00 भूमि में सघन वन होने के कारण 2.00 हे. अतिरिक्त भूमि ग्राम बौला सेरा में ली गयी है। सी.ए. हेतु 2 स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार दोनो KML मैप सही है।
6	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-1- प्रस्ताव की मूल कापी 1 नं0

2- प्रस्ताव की 2 प्रतिया।

पत्रांक /1सी0 (वन)

तददिनांक

प्रतिलिपि :- उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि पाठ में अपने स्तर से संशोधन करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0  
गौचर (चमोली)



कार्यालय अधिशासी अभियान्ता  
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (घमोली)

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email: eapwdgauchar@rediffmail.com

पत्रक- 483 /1 सी0 (वन)

दिनांक 12/03/2018

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी  
देहरादून।

विषय-

प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर प्रस्ताव संख्या  
द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

उपवन संरक्षक केंदारनाथ कन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर का आगलाइन डीओडीओ दिनांक 7.3.2018

महोदय,

सुप्रशिक्षित विषय के काम में अवगत कराना है कि गौचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर आगली  
आपत्तियों का निराकरण दिन्दुवर कर दिया गया है।

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
1	In response to point No 4 of previous EDS dated 6-12-2017 related to tree enumeration, it is found that the number of tree now uploaded online at SI No 4, part II is 116, while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 23. Hence there is discrepancy.	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केंदारनाथ कन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाता है।
2	In response to SI NO. 5 of this office EDS dated 06-12-2017 related to submission of original hard copy of document the state Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 5-9-2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter of 5-9-2016 while as per the guidelines issued by the MDEF, original copy of the proposal of all the essential documents and /or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। संलग्न- प्रस्ताव की मूल प्रतियां।
3	In the component break-up uploaded a para 2.4, part I online, it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	Road component में Location का उल्लेख कर दिया गया है।
4	In response to EDS point NO 4, it is observed that the patches of CA are not marked on survey of India toposheet map uploaded in part II	part II में संशोधन उपवन संरक्षक केंदारनाथ कन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया जाता है।
5	upon DSS analysis, it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. It is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha	यह भूमि प्रस्ताव का भी मूल 2.230 हे० है जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति प्रमाणित हेतु 4.460 हे० क्षेत्रफल में भूमि ली गयी है। पूर्व श्रयणित क्षतिपूर्ति प्रमाणित हेतु 4.460 हे० भूमि (शिरकोटी झण्डा सिन्धवाणी) में 2.00 भूमे में संघन वन होने के कारण 2.00 हे० अधिकित भूमि का बॉन्डा सेवा में ली गयी है। सीए हेतु 2 स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार सही KML भेज सही है।
6	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

प्राप्त दिनांक 1- प्रस्ताव की मूल कॉपी 1 नं०  
2- प्रस्ताव की 2 प्रतियां।

प्राप्त दिनांक

भवदीय 12/3/18

अधिशासी अभियान्ता  
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग  
गौचर (घमोली)

म. उ. देहरादून  
पत्रक 483 /1 सी० (वन)

तददिनांक

प्रतिलिपि :- उपवन संरक्षक केंदारनाथ कन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर को इस अनुरोध के साथ कि प्राप्त दिनांक में आने स्तर से  
संशोधन करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियान्ता  
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग  
गौचर (घमोली)  
123/18/8